[2022] 1 एस. सी. आर. 661

पंजाब नेशनल बैंक

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2012 की सिविल अपील सं. 2196)

24 फरवरी, 2022

[एल. नागेश्वर राव और वाइन सरन, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944: r.173 (क्यू) (2)-जब्ती और

जुर्माना-तथ्यों पर, उत्पाद शुल्क की चोरी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के लिए आर. आई. एल. कंपनी को नोटिस जारी करना-उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि और यू/आर. के तहत जुर्माना लगाया जाना। 173 (प्र. (1) और भूमि, भवन संयंत्र और मशीनरी को जब्त करने का आदेश

आर. 173 (प्र) (2) पारित किया गया-इसके बाद, न्यायाधिकरण द्वारा जब्त करने का आदेश रद्द कर दिया गया और मामले को नई कार्यवाही के लिए वापस भेज दिया गया। आर से। 173 (प्र) (2) को अधिसूचना दिनांक 12.05.2000 द्वारा हटा दिया गया था।

इसके बाद, आर. आई. एल. ने अपीलकर्ता बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया।

अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों को गिरवी रखा, और कंपनी की संपत्तियों और ब्लॉक पर शुल्क भी लगाया।

-

इसके बाद, आयुक्त ने फिर से उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की, जुर्माना लगाया और आर. आई. एल. की सभी भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी को जब्त करने का भी आदेश दिया। यू/एस नोटिस भी जारी किया। 13 (2) और एस भी। 13 (4) आर. आई. एल. द्वारा अपीलकर्ता बैंक की ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद से सरफेसी अधिनियम-लेखन

जब्ती के आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता बैंक की याचिका-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित की गईः सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त यू/की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे

आर. 173 भूमि, भवनों आदि की जब्ती के लिए 26.03.2007 और 29.03.2007 पर प्रश्न (2), जब ऐसी तारीख को, उक्त आर। 173 प्रश्न (2) संविधि पुस्तकों में नहीं था, जिसे दिनांकित अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था।

12.05.2000 - प्रतिभूत लेनदार, अपीलार्थी-बैंक के बकाया को आबकारी विभाग के बकाया पर प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि एस डालने के बाद भी। 11 ई 1944 के अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 08.04.2011 में, और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों का 1944 के अधिनियम के प्रावधानों पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ेगा-इस प्रकार, जब्ती आदेशों को रद्द कर दिया गया-वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-एस. 11 ई, 38 ए-सामान्य खंड अधिनियम,

-

1897 — एस. 6 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173Q (2) के तहत भूमि, भवनों आदि को जब्त करने के लिए 26.03.2007 और 29.03.2007 पर शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे, जब ऐसी तारीख को उक्त नियम 173Q (2) क़ानून की पुस्तकों में नहीं था, जिसे 12.05.2000 की अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था। दूसरा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 11 ई को शामिल करने के बाद भी, सुरक्षित लेनदार यानी अपीलकर्ता-बैंक के बकाया को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के बकाया पर प्राथमिकता दी जाएगी और सरफेसी अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा। ज़ब्त करने के आदेश दिनांकित

26.03.2007 और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित 29.03.2007 को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 47,48] [694-एफ-एच]

2.1 प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है

प्रत्यर्थी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 से धारा 173 क्यू (2) को हटाने के बावजूद दिनांकित अधिसूचना के माध्यम से 12.05.2000 , प्रतिवादी संख्या 3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए (सी) और धारा 38 ए (ई) के कारण कार्यवाही जारी रखने का हकदार था, जिसे सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साथ पढ़ा गया था। [पैरा 33] [686-ए-बी]

2.2 तत्काल मामले में, पूर्ववर्ती नियम 173 क्यू (2) के तहत शुरू की गई कार्यवाही के निरसन पर समाप्त हो जाएगी।

सामान्य खंड अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है। यह "नियम" को छोड़ने के मामले में लागू नहीं होता है। अतः, की प्रयोज्यता का प्रश्न धारा 6 को नकारात्मक में तय किया गया है। दूसरा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए (सी) और 38 ए (ई) के लागू होने के मुद्दे पर, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी राष्ट्रीय बैंक v.

भारत और ओआरएस का संघ।

इसके संरक्षण का आनंद लें क्योंकि धारा 38 ए (सी) और 38 ए (ई) केवल तभी आकर्षित होती हैं जब तक कि "कोई अलग इरादा प्रकट न हो"। तत्काल मामले में, विधायिका ने नियम 173 क्यू (2) में निहित प्रावधानों को हटाने के बाद किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र मशीनरी आदि को जब्त करने की शक्ति को बहाल/पुनर्जीवित नहीं करने के अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया है। विधायिका का यह इरादा इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि डब्ल्यू. ई. एफ. को हटाने के बाद किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि को जब्त करने की शक्ति। बाद के केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 में पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस आशय को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 211 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि नियमों के तहत जब्त की गई "कुछ भी" केंद्र सरकार में निहित होगी, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का नियम 28

2001, 2002 और 2017 के नियम, जो "कुछ भी" शब्द के बजाय 1944 के नियमों के पहले के नियम 211 के समान हैं,

ज़ब्त किए गए "माल" को केंद्र सरकार में निहित करने का प्रावधान। अंत में, 1944 के नियम डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1 के नियम 173 क्यू. (2) को हटाने के बाद और वर्ष 2001 में 1944 के नियम 211 के अधिक्रमण के बाद, 2001 के नियमों के नए अधिनियमित नियम 28, 2002 के नियमों के नियम 28 और 2017 के नियमों के नियम 28 में किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र को जब्त करने का प्रावधान नहीं था।

मशीनरी आदि और उनके परिणामस्वरूप केंद्रीय में निहित

सरकार ने, नियम 28 के रूप में, केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों द्वारा आबकारी अधिनियम, 1944 के तहत जब्त किए गए "माल" को केंद्र सरकार को सौंपने का प्रावधान किया है। विधायिका के इरादे की यह व्युत्पत्ति, कोटक महिंद्रा बैंक के मामले में निर्धारित अनुपात के संयोजन में, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज़ब्ती की कार्यवाही इन उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नहीं बचाई गई थी और 26.03.2007 और 29.03.2007 दिनांकित अंतिम ज़ब्ती आदेश द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त। [पैरा 36] [688-ई-एच; 689-ए-एफ]

कोल्हापुर केनेसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और

ओआरएस। (2000) 2 एससीसी 536: [2000] (1) एस. सी. आर. 518- अनुसरण किया गया।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम जिला मजिस्ट्रेट 2010

एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 10656-अनुमोदित।

22] 1 एस सी आर।

2.3 जहां तक विवादग्रस्त मामले में उच्च न्यायालय के आबकारी विभाग की तुलना में सुरक्षित लेनदार के ऋण की प्राथमिकता का संबंध है।

फैसले में कहा गया कि "मामले को देखते हुए, संपत्तियों पर पहले आरोप या दूसरे आरोप का सवाल नहीं उठेगा"। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की गलत व्याख्या करते हुए कहा कि संपत्तियों पर पहले आरोप या दूसरे आरोप का सवाल, नहीं होगा।

उठें। अपीलार्थी के वकील की प्रस्तुतियाँ योग्यता रखती हैं। जाहिर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में धारा 11 ई को शामिल करने से पहले

निर्धारिती या 1944 के अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति। इसलिए, तत्काल मामले की तरह, जहां भूमि, भवन, संयंत्र मशीनरी, आदि को धारा में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित लेनदार को गिरवी रखा गया है। 2 (एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, 2002 की धारा 13 में निहित प्रावधानों के साथ पठित एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, 2002 के (जेड. एफ.) से लेकर (जेड. एफ.) तक, सुरक्षित लेनदार का सुरक्षित परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार होगा।

इसके अलावा, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का अन्य सभी कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। यहां तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ई में निहित प्रावधान भी सरफेसी अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों के अधीन हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 11 ई को शामिल करने के बाद भी सरफेसी अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों का 1944 के अधिनियम के प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा। [पारस 37,43,44] [689-एफ-जी; 693-ई-जी; 694-ए-बी]

भारत संघ बनाम एस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड और ए. एन. आर. (2009) 2 एससीसी

121 : [2008] (17) एस. सी. आर. 120-निर्भर।

यू. टी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम डी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 2006

एस. सी. सी. ऑनलाइन मद्रास 1182; कृष्णा लाइफस्टाइल

टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 137-अनुमोदित।

देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभु दास पारिख और अन्र। (2000) 5 एससीसी 694: [2000] (3) एस. सी. आर. 509; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सिरिगुप्पा सुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य।

(2007) 8 एससीसी 353: [2007] (8) एस. सी. आर. 898-संदर्भित।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

2.4 इसके अलावा, यह निवेदन कि ज़ब्ती आदेश की वैधता पर केवल इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है अपीलार्थी के एक सुरक्षित लेनदार होने का विवरण गलत है और वर्तमान मुद्दे के लिए अप्रासंगिक है। यह निवेदन कि जब्ती आदेश को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसी संपत्ति के संबंध में प्रतिभूति हित बनाया गया है

स्वीकार करने योग्य। हालाँकि, जिस बात की सराहना की जानी चाहिए, वह यह है कि तत्काल मामले में, जब्ती आदेश को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसी संपत्ति के संबंध में प्रतिभूति हित बनाया गया है। इसके विपरीत, तत्काल मामले में ज़ब्ती के आदेश रद्द किए जाने के योग्य हैं क्योंकि ज़ब्ती के आदेशों में स्वयं कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, क्योंकि

वे एक ऐसे प्रावधान में निहित थे जो आदेश पारित होने के दिन हटा दिया गया था। इसलिए, यह ज़ब्ती आदेशों में अंतर्निहित दोष है जो इसे रद्द करने का मार्ग प्रशस्त करता है, न कि केवल इस तथ्य के लिए कि उसी संपत्ति के संबंध में एक सुरक्षा हित बनाया जाता है जिससे ज़ब्ती आदेश निपटते हैं।

[पैरा 45] [694-बी-ई]

2.5 यह निवेदन कि ज़ब्ती की कार्यवाही आरोप लगाए जाने से लगभग 8-9 साल पहले शुरू की गई थी

बैंक के पक्ष में समान संपत्तियों का सम्मान भी है अप्रासंगिक। यह तथ्य कि ज़ब्ती की कार्यवाही शुरू होने के बाद कुछ समय की अवधि समाप्त होने के बाद आरोप लगाया गया है, उस ज़ब्ती आदेश को वैधता प्रदान नहीं करेगा जो किसी भी वैध और मौजूदा वैधानिक प्रावधान में निहित नहीं है। [पैरा 46] [694-ई-एफ]

बैंक ऑफ बिहार बनाम बिहार राज्य (1972) 3 एस. सी. सी. 196: [1971] (0) पूरक। एस. सी. आर. 299; राणा गर्डर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। (2012) 10 एस. सी. सी. 746; सीतानी टेक्सटाइल

और कपड़े (प्रा.) लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर

& केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1998 एस. सी. सी. ऑनलाइन आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार (2008) 16 एससीसी 276: [2008] (14) एस. सी. आर. 859; केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास (2003) 4 एस. सी. सी. 557: [2003] (2) एससीआर 968; गैमन इंडिया बनाम विशेष मुख्य सचिव (2006) 3 एससीसी 354 [2006] (2) एस. सी. आर. 304; अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृतलाल (2001) 8 एस. सी. सी. 397: [2001] (2) पूरक।

195 ; बृहद महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट लिमिटेड बनाम

जनार्दन रामचंद्र कुलकर्णी [1960] 3 एस. सी. आर. 85

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1971] 0 पूरक। एससीआर 299

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(2012) 10 एस. सी. सी. 746

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2008] 14 एससीआर 859

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2003] 2 एससीआर 968

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2006] 2 एससीआर 304

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2001] 2 पूरक। एससीआर 195

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

[1960] 3 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2000] 1 एससीआर 518

पीछा किया।

पै

रा 36

[2000] 3 एससीआर 509

पै

रा 39

संदर्भित किया गया है

[2007] 8 एससीआर 898

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[2008] 17 एससीआर 120

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2196

2012 से।

उच्च न्यायालय के 05.08.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सिविल मिस्क में इलाहाबाद में न्यायपालिका। 2008 की लिखित याचिका सं. 1464।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजेश कुमार-आई, अनंत गौतम, निपुन

शर्मा, मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी, एड. अपीलार्थी के लिए।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुश्री रश्मि मल्होत्रा, मुकुल सिंह, शैलेश

मडियाल, इंदिरा भाकर, एम. के. मारोरिया, बी. कृष्ण प्रसाद, प्रदीप जैन, सुश्री मंजुला गुप्ता, बडी ए. रंगनाथन, ए. वी. रंगम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वाइन सारन, जे।

1. वर्तमान दीवानी अपील निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.08.2008, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य, उद्देश्य के लिए प्रासंगिक

वर्तमान अपील में कहा गया है कि आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गाजियाबाद (प्रतिवादी संख्या 2) ने दिनांकित कारणदर्शक नोटिस जारी किया है।

31.12.1996 उत्पाद शुल्क की चोरी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के उल्लंघन के लिए मेसर्स राठी इस्पात Ltd./Respondent नंबर 4 (संक्षेप में "आरआईएल") को। दिनांक 25.11.1997 के एक आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 ने आर. आई. एल. के खिलाफ रु. 6,97,62,102/- के उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में "1944 नियम") के नियम 173 क्यू (1) के तहत आर. आई. एल. की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी को जब्त कर लिया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173Q के उप-नियम 2 को भारत सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया। इसके बाद, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. जी. ए. टी.), जिसे अब सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) के रूप में जाना जाता है, द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर दिनांकित आई. डी. 1 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और मामले को नए सिरे से कार्यवाही के लिए वापस भेज दिया गया। 3. 2005 में, आर. आई. एल. ने बैंकों के संघ से विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया, जिसमें अपीलकर्ता/पंजाब नेशनल बैंक प्रमुख बैंक था, और ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों को गिरवी रखा। आर. आई. एल. ने अपीलकर्ता बैंक के पक्ष में कंपनी की दोनों परिसंपत्तियों (कच्चा माल, स्टॉक प्रगति पर, तैयार माल, प्राप्य आदि) और ब्लॉक (भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी और अन्य अचल परिसंपत्तियां) पर शुल्क लगाया।

4. इसके बाद, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गाजियाबाद ने आदेश डी. टी. 26.03.2007 , उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की

आर. आई. एल. पर रु. 7,98,02,226/- का शुल्क और रु. 7,98,03,000/- का जुर्माना। आयुक्त ने 1944 के नियमों के नियम 173 क्यू (2) के तहत, निर्माण और भंडारण के संबंध में उपयोग की जाने वाली सभी भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी और सामग्री को जब्त करने का भी आदेश दिया।

5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 29.03.2007 दिनांकित एक अन्य आदेश के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की आर. आई. एल. से रु. 2,67,00,348 और Rs.74,24,332। आयुक्त ने आर. आई. एल. पर रु. 3,41,24,680/- का जुर्माना भी लगाया और इसके अलावा, 1944 के नियमों के नियम 173 क्यू (2) के तहत, आर. आई. एल. की भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, सामग्री, परिवहन आदि को जब्त करने का आदेश दिया।

वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन, भंडारण या निपटान।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. हालाँकि, इस तथ्य के आलोक में कि आर. आई. एल. ने ऋण राशि का भुगतान करने में चूक की थी और बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रही थी, अपीलार्थी ने कहा। बैंक ने आईडी1 पर आरआईएल को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किया, इसके अलावा, आरआईएल को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत नोटिस जारी किया गया था।

7. धारा 13 (4) के नोटिस के आलोक में, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कार्यालय ने बैंक को सूचित किया,

आई. डी. 1 दिनांकित एक पत्र में कहा गया है कि 1944 के नियमों के नियम 173 क्यू (2) के आधार पर संपत्ति पहले ही जब्त कर ली गई थी और आदेशों के खिलाफ एक अपील लंबित है और मामला विचाराधीन है। अपीलकर्ता बैंक ने उपरोक्त पत्र का जवाब 22.12.2007 पर दिया, जिसमें उसने विभाग को सूचित किया कि विचाराधीन संपत्तियों को बैंक के साथ गिरवी रखा गया था और ऋणों को पूरा करने के लिए आर. आई. एल. की आवश्यकता थी। इसे आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता बैंक ने 28.12.2007 पर संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया।

इसके बाद, सहायक द्वारा अपीलकर्ता बैंक को सूचित किया गया सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 15.01.2008 दिनांकित एक पत्र के माध्यम से कहा कि आर. आई. एल. की संपत्तियों से उनके लिखित व्यवहार के बिना नहीं निपटा जाना चाहिए।

सहमति दें।

8. संक्षेप में, यह सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का विवाद रहा है

विभाग कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आर. आई. एल. की सभी चल और अचल संपत्तियों को पारित आदेशों द्वारा जब्त कर लिया गया है

आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गाजियाबाद, विचाराधीन संपत्ति का कब्जा अपीलकर्ता बैंक द्वारा नहीं लिया जा सकता है।

9. जब्ती के आदेश (दिनांक 26.03.2007 और 29.03.2007) और विभाग द्वारा आगे के संचार/पत्रों से व्यथित (दिनांक 27.11.2007 और 15.01.2008), अपीलकर्ता बैंक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।

अवलोकन करता है किः

" हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, करों को मेसर्स राठी इस्पात लिमिटेड, प्रतिवादी संख्या 4 से कुर्की के माध्यम से या अन्यथा चल या अन्य करों से वसूल करने की मांग नहीं की जाती है। प्रत्यर्थी की अचल संपत्ति सं। 4 , लेकिन स्थिति की

केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण का कहना है कि संपत्तियां मौजूद हैं।

इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार में ज़ब्त और निहित

ज़ब्ती के आदेश का "पंजाब नेशनल बैंक बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

उच्च न्यायालय ने आगे कहा किः

" "ज़ब्त/ज़ब्त" शब्द के अर्थ से हम पाते हैं कि यदि कोई संपत्ति ज़ब्त की गई है तो वह इस में निहित है -

राज्य और कोई भी व्यक्ति इस पर किसी भी अधिकार, अधिकार या ब्याज का दावा नहीं कर सकता है।

अपीलार्थी बैंक की रिट याचिका को खारिज करते हुए,

अबाद उच्च न्यायालय ने अंततः निर्णय दिया किः

" इस मामले को देखते हुए, संपत्तियों पर पहले प्रभार या दूसरे प्रभार का सवाल ही नहीं उठेगा। ऋण मिटता नहीं है लेकिन उससे वसूली नहीं की जा सकती है।

जब्त की गई संपत्ति की स्थिति होने के कारण, हम रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। जहाँ तक ज़ब्ती के आदेश की चुनौती का संबंध है, हम उल्लेख कर सकते हैं कि

याचिकाकर्ता के पास आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है

प्रत्यर्थी सं. के रूप में अभिग्रहण। 4 पहले से ही पसंद किया गया है

इसके खिलाफ अपील। हालाँकि, यदि अपील में द्वारा पसंद किया जाता है

उत्तरदाता नं. 4 , जब्ती का आदेश अलग कर दिया जाता है तो बैंक संबंधित संपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ सकता है।

कानून के अनुसार "

10. उपर्युक्त उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित, यह अपील विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से दायर की गई है।11. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने हमारे सामने निम्नलिखित दो मुद्दे उठाए हैं जो हमारे उपहास के लिए उत्पन्न होते हैंः

मुद्दा संख्या 1: चाहे एल. डी. कमिश्नर कस्टम और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम के तहत शक्तियों का उपयोग कर सकता था

173 (Q) भूमि, भवनों आदि को जब्त करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 की धारा (2), जब ऐसी तारीख को नियम 1730 (2) स्टैच्यू बुक में नहीं था, तो इसे डब्ल्यू. ई. एफ. से हटा दिया गया था।

मुद्दा संख्या 2: चाहे किसी प्रावधान के अभाव में

में केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया के संबंध में प्रथम प्रभार के लिए

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, उत्पाद शुल्क विभाग के बकाया को सुरक्षित लेनदारों के बकाया पर प्राथमिकता दी जाएगी।

या नहीं?

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. पहले मुद्दे के संबंध में, अपीलार्थी बैंक के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयुक्त नियम 173Q (2) के तहत शक्तियों का उपयोग करके 26.03.2007 और 29.03.2007 दिनांकित आदेशों को पारित नहीं कर सकता था, जो उक्त तिथि पर क़ानून पुस्तकों में मौजूद नहीं था, जिसे दिनांक 12.05.2000 की अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था।

13. यह तर्क दिया गया है कि प्रावधानों पर निर्भरता

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 में निहित आदेशों का समर्थन करने के लिए

आयुक्त इस कारण से खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है कि कोल्हापुर केनेसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। [(2000) 2 एस. सी. सी. 536] ने माना है कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 में निहित प्रावधान केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों पर लागू नहीं होते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 38 ए पर इस कारण से कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है कि उक्त धारा 38 ए में निहित प्रावधान तब तक आकर्षित होते हैं जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो। वर्तमान मामले में, विधायिका का यह विपरीत इरादा कि विधायिका का इरादा नियम 173Q (2) में निहित प्रावधानों को हटाने के बाद किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र मशीनरी आदि को जब्त करने की शक्ति को पुनर्जीवित/बहाल करने का नहीं था, निम्नलिखित से स्पष्ट हैः

नियम 173Q (2) में निहित प्रावधान अर्थात

आई.

किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि को जब्त करने के बाद डब्ल्यू. ई. एफ. 12.05.2000 को बाद के केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में लागू नहीं किया गया है

नियम, 2002 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017।

II.

इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 211

अन्य रूप से, बशर्ते कि नियमों के तहत जब्त की गई "कुछ भी" केंद्र सरकार में निहित होगी, जबकि 2001,2002 और 2017 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का नियम 28, जो 1944 के नियमों के पहले के नियम 211 के समान सामग्री है, "कुछ भी" शब्द के बजाय, जब्त की गई "वस्तुओं" को केंद्र सरकार में निहित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार, 1944 के नियम 173 क. (2) को हटाए जाने के बाद,

III.

12.05.2000 और वर्ष 2001 में 1944 के नियम 211 के अधिक्रमण के बाद, नए अधिनियमित नियम 28

2001 , 2002 के नियमों के नियम 28 और 2017 के नियमों के नियम 28 में किसी भी भूमि को जब्त करने का प्रावधान नहीं था, पंजाब नेशनल बैंक बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि और उनके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को निहित करना, जैसा कि नियम 28 में केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत जब्त किए गए "सामान" को केंद्र सरकार को निहित करने का प्रावधान किया गया है।

1944 .

उपर्युक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री ध्रुव मेहता कोटक के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हैं।

महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम जिला मजिस्ट्रेट [2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 10656]।

निहित प्रावधानों को लागू करने की कोई शक्ति, अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं था केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 173 क्यू (2) में, जिसे स्टैच्यू बुक डब्ल्यू. ई. एफ. 12.05.2000 से हटा दिया गया था, दिनांक 26.03.2007 और 29.03.2007 के आदेश पारित होने से बहुत पहले।

15. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा है "क्या किसी भी प्रावधान के अभाव में

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया के संबंध में प्रथम प्रभार के लिए, उत्पाद शुल्क विभाग का बकाया होगा

सुरक्षित लेनदारों के बकाया पर प्राथमिकता दी जाए या नहीं? यह हो चुका है

उन्होंने तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में धारा 11 ई को शामिल करने से पहले अधिनियम, 1944 डब्ल्यू. ई. एफ. 08.04.2011,1944 के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था।

अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारिती की संपत्ति पर प्रथम प्रभार का प्रावधान करना या

1944 के अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति। इसलिए, वर्तमान मामले की तरह, जहां भूमि, भवन, संयंत्र मशीनरी, आदि को सुरक्षित लेनदार के पक्ष में गिरवी रखा गया था, को ध्यान में रखते हुए

सर्फेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2 (जेडसी) से (जेडएफ) में निहित प्रावधान, जिन्हें सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 में निहित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, 2002 , सुरक्षित लेनदार के पास सुरक्षित परिसंपत्तियों पर पहला शुल्क होगा।

16. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि सर्फेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि

उक्त अधिनियम, उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी लिखत में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद

2002 इसका अन्य सभी कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। यह आगे था तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ई में निहित प्रावधान, जिसे डब्ल्यू. ई. एफ. 08.04.2011 जोड़ा गया है, भी प्रदान करता है।

निर्धारिती की संपत्ति पर प्रथम प्रभार के लिए और एक गैर-अस्थायी [2022] 1 एस. सी. आर. है।

खंड. हालाँकि, धारा 11 ई में निहित प्रावधान सरफेसी अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों के अधीन हैं। इस प्रकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 11 ई को शामिल करने के बाद भी सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का 1944 के अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है।

17. उपर्युक्त प्रस्तुतियों के अलावा, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि क्राउन ऋणों (असुरक्षित) को सुरक्षित लेनदारों/पावनी/बेली के सुरक्षित बकाया पर कोई प्राथमिकता नहीं है। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई हैः

बैंक ऑफ बिहार बनाम बिहार राज्य (1972) 3 एस. सी. सी. 196

आई.

देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभु दास पारिख और अन्र।

[(2000) 5 एससीसी 694]

केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। [(2007) 8 एससीसी 353] भारत संघ बनाम एस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड और ए. एन. आर. [(2009) 2 एससीसी

iv.

121]

राणा गर्डर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। [(2012) 10

वी.

एससीसी 746]

सीतानी टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स (प्रा.) लि. बनाम सहायक

vi.

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर [1998 एस. सी. सी.

ऑनलाइन आंध्र प्रदेश 416]

यूटीआई बैंक लिमिटेड बनाम. डे. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

vii.

[2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन मद्रास 1182 (पूर्ण पीठ)]

viii. कृष्णा लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम भारत संघ

& ओआरएस। [2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम्बे 137]

18. श्री मेहता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त प्रस्तुतियों और निर्णय किए गए मामलों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता बैंक एक सुरक्षित बैंक है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत लेनदार के पास सुरक्षित परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार था और वह आबकारी विभाग के बकाया से पहले अपने सुरक्षित बकाया की वसूली करने का हकदार है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 [डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1] में धारा 11 ई में निहित प्रावधानों के अलावा विधानमंडल का इरादा आर. डी. बी. ए. ए. टी., 1993 में पंजाब राष्ट्रीय बैंक बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

धारा 31 बी [अधिसूचित डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1] और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम [डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 2] में धारा 26 ई को शामिल करने का तरीका यह है कि विधानमंडल का हमेशा यह इरादा रहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को राजस्व/करों, सरकारी बकाया के भुगतान/वसूली से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों से अपने सुरक्षित बकाया की वसूली करने की प्राथमिकता होगी।

19. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने तर्क दिया है कि अपील

कानून के निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैं:

(ए)

मुद्दा संख्या 1: क्या जब्त करने का आदेश पारित किया गया है

प्रत्यर्थी संख्या 4 (आर. आई. एल.) की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 को उक्त द्वारा बनाए गए प्रतिभूति हित द्वारा पराजित किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 4 (आर. आई. एल.) अपीलार्थियों और अन्य बैंकों के पक्ष में, जब्ती के लगभग 8 साल बाद

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नियम 173 क्यू (2) के तहत कार्यवाही

नियम, 1944) प्रत्यर्थी सं।

2 आर. आई. एल. के खिलाफ?

(बी)

मुद्दा संख्या 2: क्या द्वारा शुरू की गई कार्यवाही

उत्तरदाता नं. 2 , कमिश्नर कस्टम एंड सेंट्रल केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 क्यू (2) के तहत उत्पाद शुल्क, क़ानून की पुस्तक से उक्त नियम को हटाने से पहले, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए (सी) और 38 ए (ई) के कारण सहेजा नहीं जाता है और

नतीजतन, क्या आयुक्त नहीं था

दिनांकित ज़ब्ती के आदेश पारित करने में न्यायोचित

26.03.2007 और 29.03.2007, हालांकि ऐसी तारीख को,

उक्त नियम 173 क्यू (2) को हटा दिया गया और 1944 के नियमों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2001 से बदल दिया गया।

बाद में।

20. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा अपीलार्थी द्वारा कभी नहीं उठाया गया था

या तो न्यायाधिकरण के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष अपील में और इस अपील में पहली बार उठाया गया है।

21. अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे के संबंध में, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह प्रश्न, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तैयार किया गया है और उत्तर दिया गया है, पूरी तरह से विवाद से अलग है। वर्तमान विवाद प्रभारों या ऋणों की प्राथमिकताओं में से एक नहीं है।

2] 1 एस. सी. आर. पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरी ओर, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, वह थी ज़ब्त करने का आदेश, और इस न्यायालय के विचार के लिए प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या आर. आई. एल. की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों द्वारा पारित ज़ब्त करने के आदेश को आर. आई. एल. द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में बनाए गए सुरक्षा हित से पराजित किया जा सकता है और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए (सी) और धारा 38 ए (ई) के कारण कार्यवाही जारी रखने का हकदार था। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को 1944 के नियमों के निरस्त नियम 173Q (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26.03.2007 और 29.03.2007 दिनांकित आदेश पारित करने का अधिकार था, भले ही उक्त आदेशों की तारीख तक, 1944 के नियमों को बदल दिया गया था। उसी के समर्थन में उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह विवाद में नहीं है कि आर. आई. एल. के खिलाफ जब्ती की कार्यवाही 1996 में शुरू की गई थी, यानी 1944 के नियमों को निरस्त करने से बहुत पहले और हालांकि उन कार्यवाही में शुरू में पारित आदेश को सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन रिमांड आदेश से ही यह स्पष्ट है कि कार्यवाही (रिमांड के बाद) 1996 में शुरू की गई थी। दिनांक 31.12.1996 के कारण दिखाएँ नोटिस के माध्यम से जो शुरू किया गया था, उसकी निरंतरता। इस निवेदन को मजबूत करने के लिए नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।

लि. बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2008) 16 एस. सी. सी. 276, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अमान्य करार दिया जाता है, तो जो कुछ भी किया जाता है वह उस आदेश को उसके अंतर्निहित दोष के कारण रद्द करना है, लेकिन कार्यवाही समाप्त नहीं की जाती है। ऐसा करते समय, इस अदालत ने केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास (2003) 4 एससीसी 557) पर भरोसा किया।

23. इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि नियम 173Q के तहत जब्ती की कार्यवाही छूट से बहुत पहले शुरू हो गई थी।

क़ानून के नियम में कहा गया है कि विचार के लिए सवाल यह होगा कि क्या आर. आई. एल. के खिलाफ कार्यवाही एक ऐसे प्रावधान के तहत जारी रखी जा सकती है जो अब क़ानून पर मौजूद नहीं है। श्री के. एम. नटराज, ए. एस. जी. ने इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रदान करती है कि जब कोई नियम निरस्त, संशोधित या पंजाब नेशनल बैंक v.

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक इस तरह का निरसन किसी भी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा या किसी ऐसे अधिकार या दायित्व के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा।

24. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के अनुप्रयोग के संदर्भ में, विद्वान ए. एस. जी. ने मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया

रामचंद्र कुलकर्णी (1960 3 एस. सी. आर. 85) ने तर्क दिया कि हालांकि नियम 173 क्यू (2) को शुरू में 1944 के नियमों से हटा दिया गया था और बाद में 1944 के नियमों को निरस्त कर दिया गया था और 2001 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, लेकिन नए नियमों में ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था जो 1944 के नियमों के कारण अस्तित्व में आई देनदारियों को नष्ट करने के किसी भी इरादे को प्रकट करता हो या जो किसी भी नियम को रद्द करने के किसी भी इरादे को प्रकट करता हो। ऐसी जांच जो ऐसे उपार्जित दायित्व के संबंध में लंबित थी। इस प्रकार ज्ञात ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 38 ए (सी) और 38 ए (ई) उन कार्यवाहियों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लागू होगी जो 1944 के नियमों के नियम 173 क्यू (2) के तहत पहले ही शुरू की जा चुकी थीं, क्योंकि अधिनियम की धारा 38 ए (सी) उन अधिकारों और देनदारियों को बचाती है जो न केवल अर्जित किए गए थे, बल्कि किसी प्रावधान के संशोधन या निरसन की तारीख को भी अर्जित किए गए थे, और अधिनियम की धारा 38 ए (ई) उन जांचों को बचाती है जो ऐसे अधिकारों और देनदारियों में शुरू हुई थीं।

25. श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने आगे प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा (बकाया राशि की प्राथमिकता के संबंध में)

वर्तमान मामले के तथ्यों में बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जब्ती आदेश केवल वसूली के लिए एक आदेश नहीं है बकाया लेकिन इसके बजाय गलत काम करने वाले यानी आर. आई. एल. को दंडित करने के लिए एक दंडात्मक आदेश की प्रकृति में है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1944 के नियमों के तहत भी नियम 173 क्यू के तहत जब्ती का प्रावधान किया गया है, जबकि केवल

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के तहत बकाया राशि का प्रावधान किया गया है।

26. श्री के. एम. नटराज, ए. एस. जी. ने तर्क दिया है कि वर्तमान में

मामले में, उसी संपत्ति के संबंध में आरोप लगाए जाने से लगभग 9 साल पहले जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई थी। प्रतिभूति ब्याज के सृजन के समय, यह अपीलार्थी बैंक के लिए था कि वह ज़ब्ती की कार्यवाही के अस्तित्व के बारे में जागरूक हो। यह आगे है

प्रस्तुत किया कि किसी संपत्ति पर बनाया गया आरोप या प्रतिभूति हित किसी वैधानिक निकाय द्वारा शुरू की गई जब्ती की कार्यवाही को पराजित या प्रभावित नहीं कर सकता है। किसी भी तरह से।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं, क्योंकि वे मामले क्राउन के ऋणों पर एक सुरक्षित लेनदार की प्राथमिकता के सवाल से संबंधित हैं और एक सुरक्षित लेनदार के हित के संबंध में जब्ती कार्यवाही के मुद्दे को भी नहीं छूते हैं। 28. यह प्रस्तुत किया गया है कि बैंक ऑफ बिहार बनाम बिहार राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 196] के मामले में भी इसी तरह का सवाल उठा था, जहां यह सवाल था कि क्या एक वैध जब्ती किसी व्यक्ति के अधिकार को पराजित कर सकती है।

सुरक्षित लेनदार। उस मामले में, इस न्यायालय ने जब्ती में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन केवल यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार द्वारा माल जब्त किए जाने के बाद, सुरक्षित लेनदार अभी भी अपने ऋण को पूरा करने का अपना अधिकार बनाए रख सकते हैं। यह सिद्धांत सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) (डी) में परिलक्षित होता है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि, अधिक से अधिक, अपीलार्थी का सहारा ले सकता है

यदि और जब प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा संपत्तियों को बेचा जाता है, तो इसके लिए देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) (डी) के तहत निर्धारित तंत्र। इसलिए, प्रत्यर्थियों से वसूली के किसी भी अधिकार का अस्तित्व मानते हुए, अपीलार्थी, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) (डी) में परिकल्पित नोटिस जारी करने का हकदार हो सकता है और फिर उसमें उल्लिखित आगे के कदम उठा सकता है।

29. अंत में, श्री के. एम. नटराज, ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि ज़ब्ती आदेश की वैधता पर केवल इस कारण से सवाल नहीं उठाया जा सकता है

अपीलार्थी का एक सुरक्षित लेनदार होना। यह सवाल कि क्या सीमा शुल्क विभाग को देय राशि को सुरक्षित लेनदार को देय ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी, इस मामले में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जिसे चुनौती दी गई है वह है जब्ती आदेश और कुछ नहीं। ए.

जब्ती आदेश को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसी संपत्ति के संबंध में प्रतिभूति हित बनाया गया है।

30. तैयार संदर्भ के लिए, संबंधित अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944)

" धारा 11. सरकार को देय राशियों की वसूली। - इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को देय शुल्क और किसी भी प्रकार की किसी भी अन्य राशि के संबंध में, जिसमें धारा 11 डी के तहत केंद्र सरकार को क्रेडिट में भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि भी शामिल है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड पंजाब नेशनल बैंक के तहत गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सशक्त अधिकारी।

भारत और ओआरएस का संघ। [वाइन सारन, जे।]

अधिनियम, 1963 (1963 का 54) ऐसा शुल्क लगाने या भुगतान की अपेक्षा करने के लिए

ऐसी राशियों में से [सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 142 में निर्दिष्ट किसी अन्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी या किसी उचित अधिकारी से उस व्यक्ति को देय किसी भी धन से इस तरह से देय राशि की कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है जिससे ऐसी राशि वसूल की जा सकती है या जो उसके हाथों में हो सकती है।

या उसके निपटान या नियंत्रण में हो सकता है या ऐसे अन्य अधिकारी के हाथों में या निपटान या नियंत्रण में हो सकता है, या कर योग्य वस्तुओं की कुर्की और बिक्री द्वारा राशि की वसूली कर सकता है।

ऐसे व्यक्ति से संबंधित है; और यदि देय राशि इस तरह से वसूल नहीं की जाती है, तो वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकता है जिसमें देय राशि को निर्दिष्ट करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से निर्दिष्ट किया गया है और इसे उस जिले के कलेक्टर को भेज सकता है जिसमें ऐसा व्यक्ति रहता है या अपना व्यवसाय करता है और उक्त कलेक्टर,

इस तरह के प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर, उक्त व्यक्ति से उसमें निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि यह भूमि राजस्व का बकाया हो।

बशर्ते कि जहाँ व्यक्ति (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

पूर्ववर्ती) जिनसे इस धारा में निर्दिष्ट शुल्क या किसी भी प्रकार की कोई अन्य राशि वसूल करने योग्य या देय है, अपने व्यवसाय या व्यापार का पूर्ण या आंशिक रूप से हस्तांतरण या अन्यथा निपटान करता है, या उसके स्वामित्व में कोई परिवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह ऐसा करने में सफल होता है।

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवसाय या व्यापार, सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं, सामग्री, तैयारी, संयंत्र, मशीनरी, जहाज, बर्तन, उपकरण और उनकी अभिरक्षा या कब्जे में वस्तुएं।

इस प्रकार के उत्तराधिकारी व्यक्ति को केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा सशक्त ऐसे अधिकारी द्वारा संलग्न और बेचा जा सकता है और

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, ऐसे हस्तांतरण या अन्यथा निपटान या परिवर्तन के समय ऐसे पूर्ववर्ती से ऐसे शुल्क या अन्य वसूली योग्य या देय राशियों की वसूली के उद्देश्यों के लिए।

" धारा 38 क। नियमों के संशोधनों आदि का प्रभाव,

ऐसे नियम के तहत जारी किया जाता है, संशोधित किया जाता है, निरस्त किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तब तक, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, जैसे संशोधन, निरसन, अधिनिर्णय या निरसन नहीं होगा-[2022] 1 एस. सी. आर.

प्रभाव; या (ख) इस प्रकार संशोधित, निरस्त, प्रतिस्थापित या निरस्त किए गए किसी भी नियम, अधिसूचना या आदेश या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी चीज़ के पिछले संचालन को प्रभावित करता है; या

घ) में किए गए किसी भी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है इस प्रकार संशोधित, निरस्त, प्रतिस्थापित या निरस्त किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के तहत या उसके उल्लंघन में किए गए किसी भी अपराध के संबंध में; या

ङ) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, जुर्माना, ज़ब्त या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है, और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या दंड इस प्रकार लगाया जा सकता है जैसे कि नियम, अधिसूचना या आदेश, जैसा भी मामला हो, में संशोधन, निरसन नहीं किया गया था।

प्रतिस्थापित या निरस्त "।

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944) डब्ल्यू. ई. एफ. 08.04.2011

" अधिनियम के तहत धारा 11E.Liability पहला प्रभार होगा। -

किसी भी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय शुल्क, जुर्माना, ब्याज या कोई अन्य राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 ए, (1956 का 1) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) को छोड़कर, निर्धारिती या उसकी संपत्ति पर पहला आरोप होगा।

व्यक्ति, जैसा भी मामला हो "। पंजाब नेशनल बैंक बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का नियम 173 क्यू। 1944 12.5.2000 से पहले

" नियम 173 प्र. जब्ती और जुर्माना-(1) यदि कोई हो।

गोदाम के निर्माता, निर्माता या लाइसेंसधारी (क) इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किसी भी उत्पाद शुल्क को हटा देता है; या

(बी) उसके द्वारा निर्मित, उत्पादित या संग्रहीत किसी भी उत्पाद शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं है; या

(घ) शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तब ऐसी सभी वस्तुओं को ज़ब्त किया जा सकता है और गोदाम का निर्माता या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, उस उत्पाद शुल्क के मूल्य के तीन गुना से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके संबंध में -

खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट प्रकृति का उल्लंघन किया गया है या पांच हजार रुपये, जो भी अधिक हो। (2) कहाँ?

(क) उप-नियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन के मामले में, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क पर देय शुल्क।

वह उपनियम एक लाख रुपये से अधिक है, या (ख) गोदाम का कोई भी निर्माता, निर्माता या लाइसेंसधारी,

उप-नियम (1) के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) के किसी भी प्रावधान और उत्पाद शुल्क के संबंध में उत्पाद शुल्क का उल्लंघन करता है। दूसरे या बाद के किसी भी अवसर के लिए उल्लंघन दस हजार रुपये से अधिक है।

फिर, इस उप नियम के खंड (ए) के तहत आने वाले मामले में या उसके खंड (बी) के तहत आने वाले मामले में (चाहे वह [2022] 1 एस. सी. आर. हो।

उस खंड के तहत उल्लंघन दूसरे या किसी बाद के अवसर के लिए किया गया है), अधिनियम की धारा 33 के तहत मामले का फैसला करने वाला अधिकारी, उप नियम (1) के तहत ज़ब्ती और जुर्माना देने के अलावा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे निर्माता, निर्माता या गोदाम के लाइसेंसधारी से संबंधित निम्नलिखित में से किसी भी या सभी को ज़ब्त करने का निर्देश दे सकता है, अर्थात्:

सामग्री या चीज़] " (केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944)

" नियम 211। ज़ब्त किए जाने पर, संपत्ति केंद्र सरकार में निहित होगी: -

(1) जब इन नियमों के तहत कुछ भी जब्त किया जाता है, तो ऐसी चीजें केंद्र सरकार में निहित होंगी।

(2) जब्ती का निर्णय करने वाला अधिकारी उसे लेगा और पकड़ेगा।

जब्त की गई वस्तुओं का कब्जा, और पुलिस का प्रत्येक अधिकारी, ऐसे अधिकारी की मांग पर, इस तरह के कब्जे को लेने और रखने में उसकी सहायता करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 का नियम 28 [केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण में जारी]

" नियम 28. जब्त की गई संपत्ति केंद्र सरकार में निहित होगी:

जब इन नियमों के तहत कोई माल जब्त किया जाता है, तो ऐसी चीजें केंद्र सरकार में निहित होंगी। जब्ती का निर्णय करने वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी ऐसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग पर जब्त की गई वस्तुओं और पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को अपने कब्जे में ले लेगा।

अधिकारी, उसे लेने और धारण करने में सहायता करेगा

अधिकार "। पंजाब नेशनल बैंक बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का नियम 28 [केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 के अधिक्रमण में जारी]

" नियम 28. जब्त की गई संपत्ति केंद्र सरकार में निहित होगीः

जब इन नियमों के तहत कोई माल जब्त किया जाता है, तो ऐसी चीजें केंद्र सरकार में निहित होंगी।

जब्ती का निर्णय करने वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी ऐसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग पर जब्त की गई वस्तुओं और पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को अपने कब्जे में ले लेगा।

अधिकारी, उसे लेने और धारण करने में सहायता करेगा

अधिकार।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 का नियम 28

[केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अधिक्रमण में जारी]

" नियम 28. ज़ब्त और दंड। (1) विषय के अधीन

अधिनियम की धारा 11 ए. सी. के प्रावधान, यदि कोई उत्पादक, निर्माता, गोदाम का पंजीकृत व्यक्ति, या एक आयातक जो एक चालान जारी करता है जिस पर सेनवैट क्रेडिट लिया जा सकता है, या एक पंजीकृत विक्रेता,

अधिनियम की धारा 6 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र; या (घ) बचने के इरादे से इन नियमों के किसी भी प्रावधान या इन नियमों के तहत जारी अधिसूचनाओं का उल्लंघन करता है।

शुल्क का भुगतान,

तब, ऐसी सभी वस्तुओं को ज़ब्त किया जा सकता है और उत्पादक या निर्माता या पंजीकृत व्यक्ति

वेयरहाउस, या एक आयातक जो एक चालान जारी करता है जिस पर सेनवैट क्रेडिट लिया जा सकता है, या एक पंजीकृत डीलर, जैसा भी मामला हो, उस उत्पाद शुल्क से अधिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा जिसके संबंध में कोई भी [2022] 1 एस. सी. आर.

खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट प्रकृति का उल्लंघन किया गया है, या पांच हजार रुपये, जो भी अधिक हो। (2) उप-नियम (1) के तहत एक आदेश केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए जारी किया जाएगा।

" ((झ) "प्रतिभूति संपत्ति" से वह संपत्ति अभिप्रेत है जिस पर प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है; (जेड. डी.) "सुरक्षित लेनदार" का अर्थ है

((i) कोई बैंक या वित्तीय संस्थान या कोई संघ या बैंकों या वित्तीय संस्थानों का समूह जो कोई अधिकार रखता है, खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी मूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति पर स्वामित्व या ब्याज;

((ii) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी; या ((iii) एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, चाहे वह इस रूप में कार्य कर रही हो या उसके द्वारा स्थापित न्यास का प्रबंधन कर रही हो।

प्रतिभूतिकरण के लिए ऐसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी या

((iv) सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों के लिए किसी भी कंपनी द्वारा नियुक्त बोर्ड के साथ पंजीकृत डिबेंचर ट्रस्टी; या (v) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से प्रतिभूतियां रखने वाला कोई अन्य न्यासी,

जिसके पक्ष में किसी भी ऋणकर्ता द्वारा किसी भी वित्तीय के उचित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है

सहायता।]

((झ) "सुरक्षित ऋण" से ऐसा ऋण अभिप्रेत है जो किसी भी प्रतिभूति ब्याज द्वारा सुरक्षित किया जाता है;

((झ) "प्रतिभूति हित" से संपत्ति पर धारा 31 में निर्दिष्ट अधिकारों के अलावा किसी भी प्रकार का अधिकार, स्वामित्व या हित अभिप्रेत है। किसी भी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया और इसमें पंजाब नेशनल बैंक v शामिल है।

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

((i) संपत्ति के मालिक के रूप में सुरक्षित लेनदार द्वारा रखा गया कोई बंधक, शुल्क, परिकल्पना, समनुदेशन या किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज, किराए या वित्तीय पट्टे या सशर्त बिक्री पर या किसी अन्य अनुबंध के तहत दिया जाता है, जो संपत्ति के खरीद मूल्य के किसी भी अवैतनिक हिस्से का भुगतान करने का दायित्व या उधारकर्ता को मूर्त संपत्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किए गए दायित्व या क्रेडिट को सुरक्षित करता है; या ((ii) किसी अमूर्त संपत्ति में ऐसा अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या ऐसी अमूर्त संपत्ति का असाइनमेंट या लाइसेंस जो अमूर्त संपत्ति के खरीद मूल्य के किसी भी अवैतनिक हिस्से का भुगतान करने का दायित्व या उधारकर्ता को अमूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति का लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया गया दायित्व या कोई क्रेडिट सुरक्षित करता है। "

धारा 13

" 13. सुरक्षा हित का प्रवर्तन। - (1) इसके बावजूद

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे लेनदार द्वारा न्यायालय या न्यायाधिकरण का हस्तक्षेप। (2) जहाँ कोई उधारकर्ता, जो किसी प्रतिभूति समझौते के तहत किसी प्रतिभूति लेनदार के दायित्व के तहत है, प्रतिभूति ऋण या उसकी किसी भी किस्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक करता है, और ऐसे ऋण के संबंध में उसके खाते को प्रतिभूति द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में लेनदार, तो, सुरक्षित लेनदार उधारकर्ता से लिखित सूचना द्वारा सूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर सुरक्षित लेनदार को अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने के लिए कह सकता है, जिसमें विफल रहने पर सुरक्षित लेनदार उप-धारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना में उधारकर्ता द्वारा देय राशि और सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण दिया जाएगा। ऋणकर्ता द्वारा सुरक्षित ऋणों का भुगतान न करने की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लागू करने का इरादा।

(4) यदि उधारकर्ता उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित [2022] 1 एस. सी. आर.

टोर निम्नलिखित में से एक या अधिक का सहारा ले सकता है।

अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए ऋण राशि, अर्थात्:

(क) पट्टा के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेना,

सुरक्षित परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्य या बिक्री;

[(ख) व्यवसाय का प्रबंधन संभालना

के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित उधारकर्ता सुरक्षित संपत्ति प्राप्त करने के लिए पट्टा, असाइनमेंट या बिक्रीः

बशर्ते कि पट्टे के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार,

समनुदेशन या बिक्री का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब

उधारकर्ता के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा आयोजित किया जाता है।

ऋण की प्रतिभूति के रूप में:

बशर्ते कि जहां का प्रबंधन

पूरा व्यवसाय या व्यवसाय का हिस्सा है

अलग किए जाने योग्य, सुरक्षित लेनदार संभाल लेगा उधारकर्ता के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन जो

ऋण की प्रतिभूति से संबंधित;

(ग) किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करें (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

प्रबंधक), सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए

जिसका कब्जा सुरक्षित द्वारा ले लिया गया है

लेनदार;

(घ) लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय, किसी भी

वह व्यक्ति जिसने किसी भी सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण किया है

ऋणी और जिससे कोई धन देय है या हो सकता है उधारकर्ता को देय हो जाता है, सुरक्षित लेनदार को भुगतान करने के लिए, इतना पैसा जो सुरक्षित भुगतान करने के लिए पर्याप्त है

ऋण।

खंड (घ) 5-धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूत लेनदार को किए गए भुगतान से ऐसे व्यक्ति को पहचान-पत्र का निर्वहन मिलेगा जैसे कि उसने उधारकर्ता को भुगतान किया हो।

कब्जा लेने के बाद सुरक्षित संपत्ति का हस्तांतरण

उप-धारा (4) के तहत प्रबंधन का या उसका अधिग्रहण,

ई सुरक्षित लेनदार या प्रबंधक की ओर से

लाल लेनदार हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरित की गई सुरक्षित संपत्ति में या उसके प्रति सभी अधिकार निहित करेगा, जैसे कि हस्तांतरण

ऐसी सुरक्षित संपत्ति के मालिक द्वारा बनाई गई थी।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

(7) जहां किसी उधारकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है

उप-धारा (4) के प्रावधान, सभी लागत, शुल्क और ऐसे व्यय जो प्रतिभूत लेनदार की राय में

उसके द्वारा उचित रूप से खर्च किया गया या कोई आकस्मिक खर्च

इसके विपरीत किसी भी अनुबंध का, जो उसके द्वारा विश्वास में रखा जाए, सबसे पहले, ऐसी लागतों, शुल्कों और खर्चों के भुगतान में लागू किया जाता है।

और दूसरा, सुरक्षित लेनदार के बकाया के निर्वहन में

और इस प्रकार प्राप्त धन के अवशेष का भुगतान किया जाएगा

अपने अधिकारों के अनुसार इसका हकदार व्यक्ति और

रुचियाँ। 8 .....

9 .....

10 ... . 11 . ...

12 .....

13 ... .

सरफेसी अधिनियम, 2002

धारा 35

“ 35. इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों को ओवरराइड करते हैं। — द.

इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, इसके बावजूद

किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत

तत्काल प्रभाव में होने के कारण या किसी भी उपकरण द्वारा

ऐसे किसी भी कानून का गुण "।

(जोर दिया गया)

31. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है

रिकॉर्ड को ध्यान से पढ़ा।

32. सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गाजियाबाद

ऑर्डर डी. टी. 26.03.2007 , आर. आई. एल. की सभी भूमि, भवन, मशीनरी आदि को जब्त करने का आदेश दिया। यह ज़ब्ती आदेश इसके तहत पारित किया गया था

173 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का प्रश्न (2)। हालांकि, इसमें

आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि जब्ती आदेश की तारीख यानी 26.03.2007 और 29.03.2007, नियम 173Q (2) है।

22] 1 एस सी आर।

सरकारी अधिसूचना दिनांक 12.05.2000 के माध्यम से क़ानून पुस्तकों से हटा दिया गया था।

33. हम प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में योग्यता नहीं पाते हैं कि 1944 के नियमों से धारा 173 क्यू (2) को हटाने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए (सी) और धारा 38 ए (ई) के कारण कार्यवाही जारी रखने का हकदार था, जिसे सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साथ पढ़ा जाता है।

34. कोल्हापुर कानेसुगर में इस न्यायालय की संविधान पीठ

वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। [(2000) 2 एस. सी. सी. 536] ने माना हैः

" 11. पहले चर्चा किए गए मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या पुराने नियम 10 और 10-ए को हटाने और नए नियम 10 द्वारा अधिसूचना संख्या 267/77 दिनांक 6.8.77 द्वारा इसके प्रतिस्थापन के बाद

दिनांकित 27.4.77 नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही हो सकती है

कानून में जारी रखा। यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है तो सहायक का 15/27 अक्टूबर, 1977 का आदेश। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर ने पुनः मांग की पुष्टि की

रुपये की राशि का ऋण। 61,41,930 हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है तो उक्त क्रम को गैर-अनुमान के रूप में लिया जाना चाहिए।

34. (.....) यह कहना सही नहीं है कि एक के तहत शुरू की गई लंबित कार्यवाही की रखरखाव के सवाल पर विचार करते हुए

उक्त प्रावधान को हटाए जाने के बाद नियम का विशेष प्रावधान न्यायालय को लंबित कार्यवाही को जारी रखने के लिए नए जोड़े गए नियम में किसी प्रावधान की तलाश नहीं करनी है। यह कहना भी सही नहीं है कि परीक्षण यह है कि क्या नियमों में इस आशय का कोई प्रावधान है कि लंबित कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

उस नियम को हटाने पर जिसके तहत नोटिस जारी किया गया था। यह हमारा सुविचारित विचार है कि ऐसे मामले में न्यायालय को उस नियम के प्रावधानों पर विचार करना है जो पिछले नियम को छोड़ने के बाद पेश किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई लंबित पंजाब नेशनल बैंक v.

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

कार्यवाही जारी रहेगी या समाप्त हो जाएगी। यदि इसमें कोई प्रावधान है कि लंबित कार्यवाही जारी रहेगी और पुराने नियम के तहत निपटाया जाएगा जैसे कि नियम को हटाया या छोड़ा नहीं गया है तो ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। यदि मामला सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 द्वारा कवर किया गया है या कानून में एक समान सामग्री का प्रावधान है जिसके तहत उस मामले में नियम बनाया गया है, तो भी लंबित कार्यवाही नियम को छोड़ने से प्रभावित नहीं होगी। कानून या नियम में इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में लंबित कार्यवाही उस नियम पर समाप्त हो जाएगी जिसके तहत नोटिस जारी किया गया था या कार्यवाही शुरू की गई थी जिसे हटा दिया गया था। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में विनिवेश का प्रश्न है।

36. हाथ में मामले में। नियम 10 या नियम 10-ए न तो "केंद्रीय अधिनियम" है और न ही अधिनियम में परिभाषित "विनियमन" है। यह अधिनियम की धारा 3 (51) के तहत एक नियम हो सकता है। धारा 6 है लागू होता है जहां कोई केंद्रीय अधिनियम या सामान्य खंड अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है। यह एक को छोड़ने के मामले में लागू नहीं होता है

" नियम "।

37. स्थिति सर्वविदित है कि सामान्य कानून में, किसी क़ानून को निरस्त करने या किसी प्रावधान को हटाने का सामान्य प्रभाव है -

इसे कानून की पुस्तक से पूरी तरह से मिटा दें जैसे कि इसे कभी पारित नहीं किया गया था, और कानून को एक कानून के रूप में माना जाना चाहिए जो कभी मौजूद नहीं था। इस नियम के लिए, एक अपवाद उत्कीर्ण किया गया है

धारा 6 (1) के प्रावधानों द्वारा। यदि किसी कानून के प्रावधान को लंबित कार्यवाहियों के पक्ष में बचत खंड के बिना बिना बिना शर्त हटा दिया जाता है, तो सभी कार्रवाई वहीं रुकनी चाहिए जहां चूक की गई हो।

उन्हें ढूंढता है, और यदि चूक प्रभावी होने से पहले अंतिम राहत नहीं दी गई है, तो इसे बाद में नहीं दिया जा सकता है। धारा 6 या विशेष अधिनियमों में निहित प्रकृति की बचत स्थिति को संशोधित कर सकती है। इस प्रकार, निरसन (2022) 1 एस. सी. आर. का संचालन।

या भविष्य और अतीत के रूप में विलोपन काफी हद तक निर्भर करता है

बचत लागू होती है। ऐसे मामले में जहां किसी कानून में एक विशेष प्रावधान को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर उसी आकस्मिकता से निपटने वाला एक अन्य प्रावधान बिना किसी बचत के पेश किया गया है।

लंबित कार्यवाहियों के पक्ष में खंड तब यह हो सकता है उचित रूप से अनुमान लगाया गया है कि विधायिका का इरादा यह है कि

लंबित कार्यवाही जारी नहीं रहेगी लेकिन एक नया

उसी उद्देश्य के लिए कार्यवाही शुरू की जा सकती है

नया प्रावधान "।

(जोर दिया गया)

35. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में गुजरात उच्च न्यायालय। बनाम जिला मजिस्ट्रेट [2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 10656] ने माना है कि

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, वडोदरा-II को जब्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था नियम 173Q (2) के तहत भूमि, उक्त नियम को हटा दिया गया था और नियम 28 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जब तक कि 25.02.2006 दिनांकित आदेश पारित किया गया था। यह आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण कानून की नजर में अमान्य है और इस प्रकार अधिकारी दिनांकित 25.02.2006 आदेश का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ”

36. वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती नियम 173 क्यू (2) के तहत शुरू की गई कार्यवाही उक्त नियम के निरसन पर समाप्त हो जाएगी। 173 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का प्रश्न (2)। प्रत्यर्थी वकील का निवेदन कि कार्यवाही धारा के कारण सहेजी जाएगी

38 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का ए (सी) और 38 ए (ई) और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 गलत है और इसमें वैधानिक समर्थन का अभाव है।

सबसे पहले, जैसा कि कोल्हापुर कैनेसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा निर्णय दिया गया है। [(2000) 2 एससीसी

536] , सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 लागू होती है जहां सामान्य खंड अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई भी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है। यह मामले में लागू नहीं है "नियम" को छोड़ देना। इसलिए, धारा 6 की प्रयोज्यता का प्रश्न नकारात्मक में तय किया जाता है। दूसरा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 ए (सी) और 38 ए (ई) के लागू होने के मुद्दे पर, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रतिवादी इसके संरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएगा क्योंकि धारा पंजाब नेशनल बैंक v.

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

38 ए (सी) और 38 ए (ई) केवल तभी आकर्षित होते हैं जब "जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो"। वर्तमान मामले में, विधायिका ने नियम 173 क्यू (2) में निहित प्रावधानों को हटाने के बाद किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र मशीनरी आदि को जब्त करने की शक्ति को बहाल/पुनर्जीवित नहीं करने के अपने इरादे को स्पष्ट किया है। विधायिका का यह इरादा इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि डब्ल्यू. ई. एफ. को हटाने के बाद किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि को जब्त करने की शक्ति बाद के केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 में लागू नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, इस आशय को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 211 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि नियमों के तहत जब्त की गई "कुछ भी" केंद्र सरकार में निहित होगी, जबकि 2001,2002 और 2017 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का नियम 28, जो जब्त की गई "वस्तुओं" को केंद्र सरकार में निहित करने के लिए प्रावधान किए गए "कुछ भी" शब्द के बजाय 1944 के नियमों के पहले के नियम 211 के समान सामग्री है। अंत में, 1944 के नियम डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1 के नियम 173 क्यू. (2) को हटाने के बाद और वर्ष 2001 में 1944 के नियम 211 के अधिक्रमण के बाद, 2001 के नियमों के नए अधिनियमित नियम 28,2002 के नियमों के नियम 28 और 2017 के नियमों के नियम 28 में किसी भी भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि को जब्त करने और उनके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार में निहित होने का प्रावधान नहीं था, क्योंकि नियम 28 में केवल केंद्र सरकार को निहित करने का प्रावधान किया गया था।

बैंक (ऊपर) यह स्पष्ट करता है कि ज़ब्ती की कार्यवाही इन उल्लिखित प्रावधानों द्वारा सहेजी नहीं गई थी और अंतिम ज़ब्ती आदेश दिनांक 26.03.2007 और 29.03.2007 बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा।

37. दूसरा, आबकारी विभाग की तुलना में सुरक्षित लेनदार के ऋण की प्राथमिकता के मुद्दे पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा है कि "मामले को देखते हुए, संपत्तियों पर पहले आरोप या दूसरे आरोप का सवाल नहीं उठेगा"। इस संदर्भ में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की गलत व्याख्या करते हुए कहा है कि संपत्तियों पर पहले आरोप या दूसरे आरोप का सवाल नहीं उठेगा।

38. यू. टी. आई. बैंक लिमिटेड के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ। बनाम. डे. आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क [2006 एससीसी ऑनलाइन

मद्रास 1182] ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा हैः

" 25. हाथ में मामले में, याचिकाकर्ता बैंक जिसने लिया

सर्फेसी की धारा 13 के तहत संपत्ति का कब्जा

अधिनियम, एक विशेष अधिनियम होने के नाते, निस्संदेह एक सुरक्षित अधिनियम है।

लेनदार। हम पहले ही के प्रावधानों का उल्लेख कर चुके हैं

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम। वे कल्पना करते हैं

पालन की जाने वाली प्रक्रियाएँ और देय राशियाँ विभागों को पुनर्प्राप्त किया जाना है। कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है

या तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या सीमा शुल्क अधिनियम में, दावा करते हुए

" पहला आरोप "जैसा कि अन्य अधिनियमों में प्रावधान किया गया है, जो हमारे पास है

पहले के पैराग्राफ में बताया गया है।

26. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम निष्कर्ष निकालते हैं,

" ((i) आम तौर पर सरकार को देय राशि, यानी कर, शुल्क आदि।

(क्राउन के ऋण) को सामान्य ऋणों पर प्राथमिकता मिलती है।

((ii) केवल तभी जब कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान हो।

दूसरों के दावे पर प्राथमिकता पाने का अधिकार। ((iii) चूंकि "प्रथम प्रभार" का दावा करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम में,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है

सुरक्षित लेनदार का दावा, अर्थात। , याचिकाकर्ता बैंक।

उत्पाद शुल्क अधिनियम के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम में, हम मानते हैं कि सुरक्षित लेनदार क्राउन के ऋणों पर हावी होगा।

हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, याचिकाकर्ता यू. टी. आई. बैंक,

एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते वरीयता पाने का अधिकार है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त का दावा, पहले

यहाँ उत्तरदाता। ”

(जोर दिया गया)

यह न्यायालय 2007 की सिविल अपील No.3627 को खारिज करते हुए

पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ, दिनांक 12.09.2009 के आदेश के माध्यम से निम्नानुसारः

" प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों से गुजरना

डिवीजन बेंच के फैसले के आलोक में अधिनियम, 2002 यह अदालत भारत संघ बनाम सिकॉम लिमिटेड और ए. एन. आर. के मामले में है। ,

2009 (1) स्केल 10 में सूचित, हम पाते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक बनाम के तहत।

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

उक्त 2002 अधिनियम के प्रावधान, अपीलार्थियों के पास नहीं था

द्वारा सुरक्षित संपत्ति पर कोई वैधानिक प्रथम प्रभार

उत्तरदाता बैंक। इन परिस्थितियों में, सिविल अपील है लागत के बारे में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया

(जोर दिया गया)

इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क मजबूत है और

ई. एन. ने इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की।

39. यह अदालत, देना बैंक बनाम भीखाभाई प्रभु दास में

th & anr. [(2000) 5 एस. सी. सी. 694], जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि बिक्री कर बकाया (क्राउन ऋण की राशि) की वसूली बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई संपत्ति और उधारकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के बैंक के अधिकार पर प्राथमिकता होगी, निम्नानुसार देखा गयाः

" 10. हालांकि, की वसूली का क्राउन का तरजीही अधिकार

अन्य लेनदारों पर ऋण सामान्य या असुरक्षित तक सीमित है। लेनदार। इंग्लैंड का सामान्य कानून या के सिद्धांत

समानता और अच्छी अंतरात्मा (जैसा कि भारत पर लागू होता है) नहीं है

क्राउन को अपने ऋणों की वसूली का एक तरजीही अधिकार प्रदान करें किसी गिरवीदार या माल के गिरवीदार या किसी सुरक्षित लेनदार पर।

(जोर दिया गया)

40. इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सिरिगुप्पा शक्कर और

निकल्स लिमिटेड और अन्य। [(2007) 8 एस. सी. सी. 353], एक का निर्णय लेते हुए

इस मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

" 18. इस प्रकार, मामले को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार,

इस न्यायालय द्वारा प्रस्तावित इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

मोहरे में रखी चीनी पर अपीलार्थी-बैंक के अधिकार थे

बेंत आयुक्त के दावों पर वरीयता और

कामगारों का। इसलिए, उच्च न्यायालय ने गलती की थी

आय के कुछ हिस्सों का भुगतान करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने में

गन्ना आयुक्त और श्रम आयुक्त के लिए

गन्ना उत्पादकों और कर्मचारियों को वितरण। वहाँ है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि चीनी को अपीलार्थी बैंक के साथ गिरवी रखा गया था

प्रथम प्रत्यर्थी का ऋण प्राप्त करने के लिए और ऋण था

भुगतान नहीं किया गया। माल को जबरन कब्जे में ले लिया गया राजस्व वसूली प्राधिकरण के कहने पर

अधिपति, अपीलार्थी-बैंक की अभिरक्षा। इसे ध्यान में रखते हुए

तथ्य यह है कि माल को वैध रूप से अपीलार्थी बैंक, [2022] 1 एस. सी. आर. को गिरवी रखा गया था।

अपीलार्थी के अधिकार-मोहरे के रूप में बैंक प्रभावित नहीं हो सकता है बेंत आयुक्त के आदेशों या की गई मांगों द्वारा

उसके द्वारा या श्रमिकों की ओर से की गई मांगें। दोनों

एक की अनुपस्थिति में बेंत आयुक्त और कामगार

परिसमापन, केवल असुरक्षित लेनदारों और उनके अधिकारों के रूप में खड़ा है माल के गिरवीदार के अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता है।

(जोर दिया गया)

41. कृष्णा लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजीज में बॉम्बे उच्च न्यायालय

बनाम भारत संघ और अन्य। [2008 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 137],विचार के लिए मुद्दा यह था कि "क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के तहत वसूली योग्य कर बकाया को वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रवर्तन क्यूरिटी ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित लेनदारों के दावे पर प्राथमिकता दी गई है"।

" धारा 35 की भाषा और निर्णय पर विचार करते हुए

मामला कानून, हमारी राय में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि

सर्फेसी अधिनियम के प्रावधान इसके प्रावधानों को ओवरराइड करते हैं

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और इस तरह एक को प्राथमिकता दी गई

सुरक्षित लेनदार क्राउन बकाया या राज्य के बकाया को ओवरराइड करेगा। जहाँ तक सर्फेसी अधिनियम का संबंध है, की एक पूर्ण पीठ

सी. एक्साइज, चेन्नई-II के आयुक्त ने इस मुद्दे की जांच की है। गहराई में। न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करते हुए खुशी हुई कि इसके तहत कर बकाया है

एक सुरक्षित लेनदार के बकाया पर दावा क्योंकि कोई नहीं है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में या विशिष्ट प्रावधान

सीमा शुल्क अधिनियम उन बकाया को पहले शुल्क देता है, और यह कि दावे

सुरक्षित लेनदारों के दावे प्रबल होंगे राज्य। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून पर विचार करते हुए

राज्य ऋणों की प्राथमिकता का मामला जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है और

सरफेसी अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान का हम सम्मान करते हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ समझौता।

(जोर दिया गया)

42. के उपरोक्त फैसले के खिलाफ एक एसएलपी (सं. 12462/2008)

बे हाई कोर्ट भारत संघ बनाम सिकॉम पंजाब नेशनल बैंक बनाम के मामले में फैसले पर एनजी द्वारा 17.07.2009 पर इस अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।

भारत और ओआरएस का संघ।

[वाइन सारन, जे।]

लिमिटेड और ए. एन. आर. [(2009) 2 एस. सी. सी. 121] में रिपोर्ट किया गया, जिसमें शामिल प्रश्न था "क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क की प्राप्ति को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के संदर्भ में सुरक्षित ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी" और इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 9. आम तौर पर, ऋण की वसूली के लिए मुकुट के अधिकार

क्राउन को अन्य सभी से पहले प्राथमिकता का दावा करने का अधिकार देता है लेनदार। [पी. रामनाथ द्वारा लिखित उन्नत विधि शब्दकोश देखें।

ऐयर (तीसरा संस्करण) पी। 1147] . हालाँकि, ऐसे लेनदारों को होना चाहिए

असुरक्षित लेनदारों को माना जाता है। क्राउन ऋण का सिद्धांत

ये सामान्य कानून के सिद्धांत से संबंधित हैं। एक सामान्य कानून

जो अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर एक कानून है

संविधान को उसके अनुच्छेद 372 के संदर्भ में संरक्षित किया गया है। वे।

सामान्य कानून के सिद्धांत, जो इस प्रकार मौजूद थे

भारत के संविधान के लागू होने का समय बचा है

उपरोक्त प्रावधान के कारण। एक ऐसा ऋण जो किसी कानून के प्रावधानों के कारण सुरक्षित या जो

भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 का स्पष्ट अर्थ क्राउन ऋण पर प्रबल होने के लिए रखा जाना चाहिए जो एक है

असुरक्षित।

(जोर दिया गया)

43. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि

दूसरे मुद्दे पर अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील की दलीलें योग्य हैं। स्पष्ट रूप से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 11 ई को शामिल करने से पहले, 1944 के अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसमें 1944 के अधिनियम के तहत निर्धारिती या किसी व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार का प्रावधान हो। इसलिए, घटना में जैसे

वर्तमान मामला, जहां भूमि, भवन, संयंत्र मशीनरी, आदि को एक सुरक्षित लेनदार को गिरवी रखा गया है/काल्पनिक किया गया है, वहां सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2 (जेडसी) से (जेडएफ) में निहित

प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसे सरफेसी अधिनियम की धारा 13 में निहित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है,

2002 , सुरक्षित लेनदार का सुरक्षित परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार होगा। इसके अलावा, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 35 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का अन्य सभी कानूनों पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ई में निहित प्रावधान भी सरफेसी अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों के अधीन हैं।

44. इस प्रकार, जैसा कि अधिकृत रूप से स्थापित किया गया है

उपरोक्त मामले सामान्य रूप से, और विशेष रूप से भारत संघ बनाम एस. आई. सी. ओ. एम. लिमिटेड (उपर्युक्त), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 11 ई को शामिल करने के बाद भी, सरफेसी अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों का 1944 के अधिनियम के प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा।

45. इसके अलावा, यह निवेदन कि जब्ती आदेश की वैधता पर केवल अपीलार्थी के कारण सवाल नहीं उठाया जा सकता है

क्योंकि उसी संपत्ति के संबंध में एक प्रतिभूति हित बनाया जाता है जो स्वीकृति के योग्य नहीं है। हालाँकि, जिस बात की सराहना की जानी चाहिए, वह यह है कि वर्तमान मामले में, जब्ती आदेश को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसी संपत्ति के संबंध में प्रतिभूति हित बनाया गया है। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में ज़ब्ती के आदेश रद्द किए जाने के योग्य हैं क्योंकि ज़ब्ती के आदेशों को स्वयं कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, क्योंकि वे एक ऐसे प्रावधान में निहित थे जो स्थायी था। आदेश पारित होने के दिन हटा दिया गया। इसलिए, यह ज़ब्ती आदेशों में अंतर्निहित दोष है जो इसे रद्द करने का मार्ग प्रशस्त करता है, न कि केवल इस तथ्य के लिए कि उसी संपत्ति के संबंध में एक सुरक्षा हित बनाया जाता है जिससे ज़ब्ती आदेश निपटते हैं।

46. इसके अलावा, यह तर्क कि वर्तमान मामले में, ज़ब्ती की कार्यवाही आरोप लगने से लगभग 8-9 साल पहले शुरू की गई थी समान संपत्तियों के संबंध में बैंक के पक्ष में सृजित करना भी अप्रासंगिक है। यह तथ्य कि ज़ब्ती की कार्यवाही शुरू होने के बाद कुछ समय की अवधि समाप्त होने के बाद आरोप लगाया गया है, उस ज़ब्ती आदेश को वैधता प्रदान नहीं करेगा जो किसी भी वैध और मौजूदा वैधानिक प्रावधान में निहित नहीं है।

47. निष्कर्ष के लिए, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त केंद्र के नियम 173Q (2) के तहत शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। ज़ब्त करने के लिए 26.03.2007 और 29.03.2007 पर आबकारी नियम, 1944

भूमि, भवन आदि, जब ऐसी तारीख को उक्त नियम 173Q (2) क़ानून की पुस्तकों में नहीं था, जिसे 12.05.2000 की अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया था। दूसरा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में धारा 11 ई को शामिल करने के बाद भी सुरक्षित लेनदार, यानी अपीलकर्ता-बैंक के बकाया को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के बकाया पर प्राथमिकता दी जाएगी और सरफेसी अधिनियम, 2002 में निहित प्रावधानों का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा।

पंजाब नेशनल बैंक बनाम। भारत

और ओआरएस का संघ। [वाइन सारन, जे।]

48. तदनुसार, अपील की

अनुमति है और ज़ब्ती का आदेश ए

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

गाजियाबाद द्वारा पारित दिनांक 26.03.2007 और 29.03.2007 को रद्द कर दिया जाता है।

निधि जैन